प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमाकः–जिशिअ/प्रा0/हनु/मान्यता/2016/1780 दिनांकः–11/11/16

सचिव,
सचखण्ड कॉन्वेंट स्कूल,
चक 2 एनडब्ल्यूएन, नवां बाईपास त. हनुमानगढ़,
जिला हनुमानगढ ।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4)के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 29.4.2016 के आवेदन और इस संबध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश **सचखण्ड कॉन्वेंट स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) चक 2 एनडब्ल्यूएन, नवा बाईपास, तहः हनुमानगढ़ को कक्षा 1 से 8 कक्षा** तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधो का पालना करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद्र समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिश्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिशिचत करेगा किः–
   (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवशयकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
   (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिश्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और
   (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10.विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिश्ट विघालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा।
अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है :–
विद्यालय परिसर का क्षेत्र0 4325 वर्ग मी.
कुल निर्मित क्षेत्र :– 1380 **वर्ग मीटर**
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :– 1975 वर्ग मीटर
कक्षा कमरों की संख्या : 09
प्रधानाध्यापक कक्ष :– 01
कार्यालय कक्षः– 01
अध्यापक कक्षः– 01
खेलकूद कक्षः– 01
भण्डार कक्षः– 01
सभा भवनः– 01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :– है
पेयजल सुविधा :–है
अध्यापक पठन सामग्री /क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धताः–उपलब्ध है।

11.विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएंगी।

12.विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

13.विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14.विद्यालय को किसी व्यश्टि, व्यश्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है ।

15.विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ को भेजी जानी चाहिए

16.आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 06|16-17 संख्याक है। कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे ।

17.विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत, अनुपालना को सुनिशिचत करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं ।

18.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिशिचत किया जाए।

19.संलग्न उपाबंध iii के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक, हनुमानगढ